मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 2-57/2018/55-1 भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2018

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्स शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा निर्मित मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 की प्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/- संलग्न नियम की यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 40 दिनांक 30 जुलाई 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(डी.डी.अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 2-57/2018/55-1 भोपाल, दिनांक अगस्त, 2018

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
6. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
7. कुल सचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
8. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 3587
दिनांक 7/8/18
शाखा का नाम
रिमार्क
कार्या.अधी. डी.एम.ई./सं.एम.ई.

Website पर
SDP
AMS

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /1/55/2018 भोपाल, दिनांक

मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी शैक्षणिक संवर्ग के लिए निम्नानुसार आदर्श सेवा नियम बनाता है:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 है।

1.2 ये नियम ऐसे स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय पर लागू होंगे जो इन्हें कार्यकारिणी समिति में संकल्प पारित कर लागू करें।

1.3 ये नियम स्वशासी समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित करने की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति –

2.1 ये नियम सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर स्वशासी महाविद्यालय के अधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए स्वीकृत चिकित्सा शिक्षक के पदों के संबंध में लागू होंगे।

2.2 स्वशासी महाविद्यालय इन नियमों को ऐसे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षकों के लिए भी लागू कर सकेगी जिनके वेतन–भत्तों के भुगतान की व्यवस्था स्वयं के

16.07.18.

Scanned by CamScanner

राजस्व से करने के लिए महाविद्यालय सक्षम है और जिनके संबंध में संभाग आयुक्त से लिखित अनुमति ले ली गई है।

3. <u>परिभाषाएं</u> –

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

3.1 महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी कार्यकारिणी समिति ने इन नियमों को लागू किया हो।

3.2 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के लिए अनुमोदित अनुसूची।

3.3 'साधिकार समिति' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत गठित साधिकार समिति।

3.4 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत गठित चयन समिति।

3.5 'चिकित्सा शिक्षक' से अभिप्रेत है **अनुसूची–एक** में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति।

3.6 'अधिष्ठाता' से अभिप्रेत है महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

3.7 'उप कुलपति' से अभिप्रेत है जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान - विश्वविद्यालय के उप कुलपति।

3.8 'संचालक' से अभिप्रेत है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक।

3.9 'सुपर स्पेशलिटी अस्पताल' से अभिप्रेत है चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन सरकार द्वारा स्थापित (i) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं (ii) विषय विशेष के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस।

4. <u>वर्गीकरण तथा वेतन आदि–</u>

4.1 राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षक के पद, जिनके लिए महाविद्यालय को सरकार से अनुदान प्राप्त होता हो, के लिए एकमुश्त वेतन एवं वर्गीकरण ऐसे होंगे जो इन नियमों की संलग्न **अनुसूची–एक** में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

Scanned by CamScanner

4.2 ऐसे पद जिनके लिए सरकार द्वारा अनुदान की स्वीकृति नहीं हो, के पारिश्रमिक तथा वर्गीकरण ऐसे होंगे जो कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर नियत करें।

4.3 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षक के पद की अर्हताएं इन नियमों की संलग्न अनुसूची–दो में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. <u>साधिकार समिति</u>–

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की साधिकार समिति निम्नानुसार होगी:–

(i) संबंधित संभाग के संभागायुक्त – अध्यक्ष

(ii) उप कुलपति – सदस्य

(iii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी – सदस्य

(vi) सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य

(vi) संचालक – सदस्य सचिव

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपरोक्त सदस्यों से प्रतिनिधित्व नहीं होने की दशा में संभागायुक्त आरक्षित वर्ग का प्राध्यापक से अनिम्न स्तर का एक सदस्य मनोनीत कर सकेंगें।

6. <u>चयन समिति</u>–

6.1 संचालक के संबंध में चयन समिति संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं राज्य शासन के प्रतिनिधि के अतिरिक्त आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर मनोनीत एक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक सदस्य होंगे।

6.2 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षक के संबंध में चयन समिति मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में होगी जिसमें संचालक, राज्य शासन का प्रतिनिधि एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समय–समय पर मनोनीत एक ख्यातिप्राप्त विषय विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

Scanned by CamScanner

7. भरती की प्रक्रिया –

7.1 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी।

7.2 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत कर सकेगी।

7.3 चयन 'समिति मेरिट के आधार पर एवं मेरिट क्रम में अभ्यार्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी और तदानुसार वरीयता क्रम में नियुक्ति की जा सकेगी।

7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।

7.7 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरूद्ध चयन किया जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की गई पूर्व सेवा एवं वेतन भत्तों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

7.8 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

8. पद उन्नयन –

वरिष्ठ पद के लिए चयन समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित अर्हता मापदण्ड अर्जित करने वाले सेवारत चिकित्सा शिक्षक को चयन समिति द्वारा वरिष्ठ पद के लिए उपयुक्त पाया जाने की दशा में–

(अ) सेवारत चिकित्सा शिक्षक के पद का वरिष्ठ पद में उन्नयन करते हुए उसे ऐसे वरिष्ठ पद का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। वरिष्ठ पद का एकमुश्त वेतन निर्धारण करने के लिए ऐसे चिकित्सा शिक्षक को तत्समय कनिष्ठ पद पर प्राप्त हो रहे एकमुश्त वेतन का संज्ञान लिया जाएगा।

Scanned by CamScanner

(ब) किसी चिकित्सा शिक्षक के पद का उन्नयन होने की दशा में कनिष्ठ पद रिक्त नहीं माना जाएगा और कुल स्वीकृत पदों की संख्या अनुसूची–एक में वर्णित पद संख्या तक सीमित रहेगी।

9. आरक्षण –

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लांगू होगी।

10. सेवा शर्तें –

10.1 चिकित्सा शिक्षक के लिए निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रेक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।

10.2 वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।

10.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रता अनुसार देय होगा।

10.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशाप/सेमीनार शुल्क दिया जाएगा।

10.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जाएगी। गृह भाड़ा–भत्ता देय नहीं होगा।

10.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को अनुसूची–एक में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्यआधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जाएगाः–

(अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।

(ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।

10.7 चिकित्सा शिक्षक को 5 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 5 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे एक वर्ष का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा।

10.8 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताए सेवा समाप्त कर सकेगी।

10.9 अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 लागू होंगे।

Scanned by CamScanner

11. <u>अनुशासन तथा नियंत्रण</u> –

चिकित्सा शिक्षक के विरूद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी :–

(1) चिकित्सा शिक्षक को सेवा में स्वतः ही पृथक माना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा उसका पंजीयन पंजी से स्थाई रूप से नाम हटाया गया हो।

(2) चिकित्सा शिक्षक को दस दिन का कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दंडित किया जा सकेगा:–

(i) वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या महाविद्यालय या सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर ;

(ii) कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में;

(iii) अमर्यादित व्यावसायिक या प्रशासनिक आचरण करने की दशा में ;

(iv) गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में ;

(v) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् या भारतीय दंत परिषद् या मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद् द्वारा कदाचरण की स्थिति में पंजीयन पंजी से अस्थाई रूप से नाम हटाया जाना अथवा निलंबन किया जाना ;

(3) निम्नलिखित दण्डों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा :–

(i) सेवा समाप्त करना ;

(ii) वेतनवृद्धि रोकना ;

(iii) हानि की राशि की वसूली करना ;

(iv) उक्त नियम 2(v) की अवधि को अवैतनिक घोषित करना तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिन (dies-non) अथवा अवैतनिक घोषित करना।

Scanned by CamScanner

परन्तु, सेवा समाप्ति के लिए साधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा।

(4) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होगा:–

पदनाम	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
संचालक	संभागायुक्त	स्वशासी समिति
चिकित्सा शिक्षक (संचालक को छोड़कर)	संभागायुक्त	साधिकार समिति

(5) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाएगा :–

(i) सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे ;

(ii) संबंधित चिकित्सा शिक्षक को उसके विरूद्ध प्रमाण का अवलोकन कराया जाएगा ;

(iii) उपरोक्त नियम 11(2) के अधीन सूचना जारी करने के दिनांक से दो मास के भीतर समस्त कार्रवाई पूरी की जाएगी।

12. <u>अधिवार्षिकी आयु</u> –

अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष होगी।

13. <u>निर्वचन</u> –

इन नियमों के अधीन निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है उसे आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जाएगा, उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. <u>निरसन और व्यावृत्ति</u> –

इन नियमों के तत्स्थानी तथा उनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परन्तु, इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

16.07.18.

Scanned by CamScanner